



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
नियम-पुस्तिका
संविदा स्टॉफ नर्स के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)
(2023-2024)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संविदा स्टॉफ नर्स के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

एन.एच.एम. ,म.प्र. संविदा स्टॉफ नर्स के 2877 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा स्टॉफ नर्स के 2877 पद का विवरण :-

पदनाम	संविदा रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ावर्ग 27%	निषक्त:जनों के लिये 6%			
							(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5%	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5%	(लोकोमोटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिडअटेक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5%	(ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संविदा स्टॉफ नर्स (महिला)	2589	700	258	518	414	699	38	39	39	39
संविदा स्टॉफ नर्स (पुरुष)	288	79	28	57	46	78	3	5	5	4

- निषक्त: के लिये स्टाफ नर्स (महिला) 155 एवं स्टॉफ नर्स (पुरुष) 17 पद रिक्तियों में उक्त पद निःषक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निषक्त: इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग /ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों ,लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड /हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करे <http://www.nhmmp.gov.in/> या [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	13 / 06 / 2023
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	20 / 06 / 2023
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	04 / 07 / 2023
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	05 / 07 / 2023

2. **शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:-**

अ- संविदा स्टॉफ नर्स (महिला)

- 10+2 (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी)
- बी.एस.सी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाइफरी) प्रषिक्षित।
- मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का वैध पंजीयन होना चाहिए।

ब- संविदा स्टॉफ नर्स (पुरुष)

- 10+2 (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉयलॉजी)
- बी.एस.सी नर्सिंग
- मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का वैध पंजीयन होना चाहिए।

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- (10+2) शिक्षा पद्धति में (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ) हायर सेकेण्डरी परीक्षा / 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- स्टॉफ नर्स(महिला) बी.एस.सी अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान(सिनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षित उत्तीर्ण होना चाहिये। मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का वैध पंजीयन होना चाहिए।
- स्टॉफ नर्स(पुरुष) बी.एस.सी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिये। मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का वैध पंजीयन होना चाहिए।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- आवेदक आवेदन/वाँछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वाँछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वाँछित समस्त जानकारियों का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2023.

3 *आयु सीमा:- 21-43 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2023)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 -2019 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक 7-46/2021/अप्र/1 दिनांक 18/09/2022 द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निषक्त:जन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरण:- आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश की निवासी है।

4. वेतन:-

4.1 चयन के बार, उम्मीदवार को संविदा स्टॉफ नर्स के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 20,000/-** रुपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियम:-

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे।

6. आवेदन प्रक्रिया:-

6.1 उम्मीदवारों को **04/07/2023** तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारित कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम औरउनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है।

6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।

- 6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:-
- (क) दृष्टिबाधित एवं कमदृष्टि।
- (ख) बहरे कम सुनने वाले।
- (ग) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी।
- (घ) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (ङ) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. चयन प्रक्रिया:-

- 7.1 संविदा स्टॉफ नर्स के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड (एसएमएस) के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- 7.3 परीक्षा केन्द्र / शहरी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सागर एवं सतना में उम्मीदवारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पंसाद प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:-
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएँ।
- (ख) प्राथमिकताएँ और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, एमपीऑनलाइन द्वारा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एसएमएस एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) और <http://www.nhmmp.gov.in/> पर से परीक्षा तिथि के सात(7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
- 7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:-
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरियता दी जाएगी।

- (ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, संविदा स्टॉफ नर्स के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिषत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
- 7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और परदर्शी तरेके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधन रहना चाहिये।
- 7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।
- 7.11 कोविड-19 अन्तर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले संविदा स्टॉफ नर्स जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो उसे संविदा स्टॉफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिषत अधिभार अंक (Weightage) प्राप्त करने की पात्रता होगी। (एनएचएम के परिपत्र क्रमांक 8671 दिनांक 24/5/2021 एवं 9423 दिनांक 10/6/2021 के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार किये जावेंगे)
- 7.12 निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-
1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
 2. प्रतिरूपण किया जाना।
 3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
 4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
 7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
 8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
 9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
 10. पुरुष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसक एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
 11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
 12. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।
8. स्थान आवंटन:-
- 8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- 8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।
- 8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण ,केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे है। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम म.प्र. द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:-**

- (क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।
- (ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।
- (ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।
- (घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।
- (ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:-**

10.1 **चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-**

- (क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।
- (ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।
- (ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।
- (घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
- (ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (च) संविदा स्टॉफ नर्स के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल ओर स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- (छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक संविदा स्टॉफ नर्स के लिये लागू होंगे।
- (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा,ओर उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/1,दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा स्टॉफ नर्स** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को को/सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाएँ:-

13.1 “ चयन परीक्षा” का अर्थ **संविदा स्टॉफ नर्स** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

कार्य दायित्व

डिलेवरी पाईट्स पर कार्यरत स्टॉफ नर्स

- प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संपादित करना।
- न्यूनतम 20 प्रसव प्रतिमाह सीएच. सीएचसी सीमॉक पर तथा न्यूनतम 10 प्रसव प्रतिमाह सीएचसी एवं पीएचसी बीमॉक पर।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जाँच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की जाँच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एम.सी.पी. कार्ड करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा / आडा / जुडवा गर्भ आदि पाये जानेपर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम की उपर) आईएफए की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आईएफए की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना।
- गंभीर एनीमिया वाली महिला को सीमॉक संस्था में प्रबंधन हेतु रेफर करना।
- प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जाँच कर एडमिशन शीट तैयार की जाए।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फिटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेट निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अवरुद्ध लेबर का प्रबंधन तथा रेफरल किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जउए सिसे महिला एवं नवजात शिशु में सेप्सिस के कारण होने वाले काम्प्लीकेशन के प्रकरणों में कमी लायी जा सके।
- रेफरल हेतु निध्प्ररित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे-आई. वी.लाईन आक्सीटोसिन, कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन, मैगसल्फ इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफरल की जाने वाली संस्था में कॉ सेंटर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- प्रसूति कक्ष में आवश्यक औषधियां, सामग्री, उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच. टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- आक्सीटोसिन, कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन हेतु कोल्ड चॉन मेनटेन करने के लिए लेबर रूम के फ्रीज में रखा जाए।
- प्रसव उपरान्त महिला को 1 घंटे तक प्रसूति कक्ष में रखकर प्रसव उपरान्त होने वाली जटिलताओं की पहचान तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने के पश्चात् मेटरनिटी वार्ड में शिफ्ट करवाना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाएँ प्रदान करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1, 3, 7, 42 दिवस

पर एएनएम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।

- महिला को प्रसवोत्तर नसबंदी/आई.यू.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- प्रत्येक प्रसव में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल हेतु उपस्थित रहें एवं जन्म के समय नवजात शिशु को **Hyponthermia** से बचाव हेतु गर्म रखे, जन्म के तुरन्त बाद माँ को स्तनपान कराने हेतु प्रेरित करें, शिशु का वजन लें एवं यदि कोई जटिलता के लक्षण है तो चिकित्सक से तत्काल परीक्षण कराये।
- न्यूबॉर्न कार्नर रजिस्टर में प्रत्येक न्यूबॉर्न जिसे पुर्नजीवन दिया गया हो, कि प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- पोस्टनेटल वार्ड में चिकित्सक को सुबह व शाम राउण्ड दिलाये।
- समय से पूर्व प्रसव के प्रकरणों में **Injection Betamethason** के उपयोग की ट्रेकिंग व रजिस्टर में प्रविष्टि करेगी। सुनिश्चित करेगी कि न्यूबोर्न कार्नर के सभी उपकरण व सामग्री क्रियाशील अवस्था में है।
- बीमार एवं अति कम वजन के नवजात शिशुओं को निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करायेगी तथा आवश्यकता होने पर उच्च स्वास्थ्य संस्था तक शिशु के साथ जायेगी।
- एमसीटीएस की अद्यतन जानकारी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तक प्रेषित करें। फ्यूमिगेशन, उपकरणों को संक्रमणरहित करना इत्यादि कार्यवाही को अधीनस्थ सपोर्ट स्टॉफ से सुनिश्चित करेगी।

एस.एन.सी.यू. में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- एसएनसीयू में भर्ती बच्चों का पंजीयन कर **Identification Tag** लगाये जाये एवं केसशीट में सामान्य प्रविष्टियों को दर्ज करें।
- एसएनसीयू प्रोटोकॉल्स अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में भर्ती शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेगी।
- केस शीट्स में नर्सस हेतु निर्धारित आर्डरशीट में प्रविष्टियाँ दर्ज करेगी।
- एसएनसीयू की साफ- सफाई, फ्यूमिगेशन, उपकरणों को संक्रमणरहित करना इत्यादि कार्यवाही को अधीनस्थ सपोर्ट स्टॉफ से सुनिश्चित करेगी।

न्यूबॉर्न कार्नर में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- प्रत्येक प्रसव में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल हेतु उपस्थित रहें एवं जन्म के समय नवजात शिशु को **Hypothermia** से बचाव हेतु गर्म रखे, जन्म के तुरन्त बाद माँ को स्तनपान कराने हेतु प्रेरित करें, शिशु का वजन लें, एवं यदि कोई जटिलता के लक्षण है तो एसएनसीयू चिकित्सक से तत्काल परीक्षण कराये।
- न्यूबॉर्न कार्नर रजिस्टर में प्रत्येक न्यूबॉर्न जिसे पुर्नजीवन दिया गया हो, कि प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- पोस्टनेटल वार्ड में एसएनसीयू चिकित्सक को सुबह व शाम राउण्ड दिलाये।
- समय से पूर्व के प्रकरणों में **Injection Betamethason** के उपयोग की रजिस्टर में प्रविष्टि करें।
- सुनिश्चित करें कि न्यूबॉर्न कार्नर के सभी उपकरण व सामग्री क्रियाशील अवस्था में है।

एनबीएसयू में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- एन.बी.एस.यू में भर्ती बच्चों का पंजीयन dj Identification Tag लगाये जाय एवं केसशीट में सामान्य प्रविष्टियों को दर्ज करें।
- प्रोटोकॉल्स अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में भर्ती शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे।

आर.बी.एस.के. के अंतर्गत डी.ई.आई.सी. में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- डी.ई.आई.सी. में कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा प्रतिदिन 30-35 बच्चों का परीक्षण एवं मानवमिति (एन्थ्रोपोमेट्री) लेना सुनिश्चित करना।
- डी.ई.आई.सी. में आने वाले बच्चों का टीकाकरण, आवश्यकतानुसार विटामिन ए एवं एलबेंडाजोल की दवाई अपने सुपरविजन में देना एवं बच्चों के अभिभावकों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यक परामर्श देना।
- स्वास्थ्य परीक्षण शिविर:- समय-समय पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- डी.ई.आई.सी. में किए जा रहे कार्य एवं बच्चों का टीकाकरण, विटामिन ए एवं एलबेंडाजोल की दवाई का निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड संधारण करना।
- बच्चों का फॉलोअप करना एवं अभिभावकों को होने वाली प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का पालन करना।